

## कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
प्रार्थी	सर्वश्री सीताशरण यादव, 762, करमेर रोड, राजेन्द्र नगर, उरई-जालौन।
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	010 / 12, 09.02.2012
प्रार्थी की ओर से	कोई उपस्थित नहीं हुआ।

### उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री सीताशरण यादव, 762, करमेर रोड, राजेन्द्र नगर, उरई-जालौन द्वारा दिनांक 09.02.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा “सचल शौचालय” पर कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 19.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है सचल शौचालय का प्रयोग स्थानीय नगर पालिकाओं द्वारा नुमाइश, प्रदर्शनी एवं मेला में लगाने हेतु किया जाता है। सचल शौचालय को प्रान्त बाहर के निर्माता कर्पनी द्वारा अपने बिल में व्हील बैरो के नाम का उल्लेख करते हुए जारी किया जाता है। यह भी कहा गया है कि सचल शौचालय ट्रैक्टर की ट्राली में चार पहियों पर लोहे की चादर से बना होता है जिसमें प्लास्टिक का पार्टीशन एवं अलग-अलग दरवाजे लगे होते हैं। दरवाजों के ऊपर प्लास्टिक की फ्लैट पानी की टंकी लगी होती है जो फ्लस को साफ करता रहता है। उक्त वस्तु को प्रार्थी द्वारा अनुसूची-एक (क) के अन्तर्गत व्हील बैरो मानते हुए करमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, झाँसी सम्बाग, झाँसी द्वारा पत्र संख्या-3210, दिनांक 26.03.2012 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा उल्लिखित वस्तु सचल शौचालय उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I (क) में वर्णित व्हील बैरो के अन्तर्गत नहीं आता है। इस पर नियमानुसार शेड्यूल-V में अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता होती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी ने सचल शौचालय को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-1 (ए) में वर्णित wheel barrow के अन्तर्गत मानते हुए करमुक्त करने का अनुरोध किया है, किन्तु अनुसूची-I के क्रमांक-1 के अन्तर्गत विस्तृत रूप से कृषि कार्य में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के विवरण में wheel barrow का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त अनुसूची से वही wheel barrow आच्छादित होगा जो कृषि कार्य के उपयोग में आता हो। प्रार्थी द्वारा जिस सचल शौचालय का उल्लेख किया गया है वह कृषि कार्य के उपयोग में नहीं आता है तथा स्वरूप में भी सामान्य रूप से प्रचलित wheel barrow से मेल नहीं रखता है। उक्त वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है अतः इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता होनी चाहिए।

सर्वश्री सीताशरण यादव / प्रा० पत्र सं०-०१० / १२ / धारा-५९ / पृष्ठ-२

5. मेरे द्वारा धारा-५९ के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, ज्ञाँसी सम्भाग, ज्ञाँसी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा उल्लिखित वस्तु सचल शौचालय उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-१ (ए) में उल्लिखित Agricultural implements के अन्तर्गत वर्णित wheel barrow से आच्छादित नहीं है। उक्त वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत भी नहीं है अतः सचल शौचालय पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भौति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-५९ के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई० टी० अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 26 फरवरी, 2014

ह० / 26.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।